न्यायालयः—राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

अपील संख्या 25/2012

1. दौलतराम पुत्र भीयांराम जाति जाट निवासी तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

—अपीलान्ट

—: बनाम :—

1. तहसीलदार राजस्व टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. अधिशाषी अभियन्ता जन स्वाथ्य अभियान्त्रिक विभाग खण्ड हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. सहायक अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग तलवाडा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

——रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आवंटन आदेश न्यायालय जिला कलैक्टर हनुमानगढ़

प्रकरण संख्या एफ—12(3)(75)राज/07/1221 दिनांक 06.02.2008

उपस्थित :—

श्री राजेन्द्र भुंवाल अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 1

निर्णय दिनांक —28.02.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि अपीलांट के पिता व उनके भाई मोकमराम की गैरदाखिलकार भूमि चक 1 जीजीआर प.न. 230/302 मु.न. 92 कि.न. 16 ता 20, 22 ता 25 व प.न. 230/303 मु.न. 94 कि.न. 3 ता 7 व 15 अनकमाण्ड बारानी दर्ज रिकार्ड थी व इसके अलावा भी इसी चक मे ओर भी कृषि भूमि थी। अपीलांट के पिता व उनके भाई द्वारा जल प्रदाय योजना के लिए प.न. 230/303 मु.न. 94 कि.न. 4, 5, 6, 7 व 15 की भूमि दी व इसके बदले मे तत्समय जिला कलैक्टर व उपखण्ड अधिकारी व ग्राम पंचायत द्वारा इस भूमि के बदले अन्यत्र भूमि देना तय किया था। इस कारण यह भूमि जल प्रदाय योजना के लिये दी गई व इस भूमि मे जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा जल प्रदाय योजना के तहत पानी की डिग्गी, क्वार्टर आदि बनाये हुये है, इस भूमि के अलावा प.न. 230/302 मु.न. 92 कि.न. 16 ता 20, 22 ता 25 की कृषि भूमि मे लगातार अपीलांट व उसके पुत्र के कब्जा मे चली आ रही है। अपीलांट के पुत्र द्वारा माननीय न्यायालय मे अपील सं. 2/2011 अनवानी उग्रसैन बनाम दौलतराम आदि प्रस्तुत की हुई है जिसकी

सूचना नियत पेशी दिनांक 03.04.2012 को उपस्थित आने पर इस अपील मे रेस्पो0 सं. 3 व 4 द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत करने व इसके साथ आवंटन आदेश प्रस्तुत करने पर अपीलाधीन आदेश की जानकारी हो पाई है अविलम्ब ही यह अपील दिनांक 04.04.2012 को प्रस्तुत की गई। अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.02.2008 कतई गलत व विधि विरूद्ध रूप से पारित किया गया है, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष विद्वान वकुलाय की बहस सुनी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध रूप से आवंटन की शर्तो के विपरीत अपीलांट को कोई सुनवाई का अवसर दिये बिना कतई एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश के द्वारा जल प्रदाय योजना के लिये भूमि दिया जाना किसी प्रकार से उचित नही था क्योंकि इससे पूर्व भी अपीलांट व उसके परिवार द्वारा इतनी ही कृषि भूमि दी हुई है, इस कृषि भूमि के बदले यह कृषि भूमि प्राप्त का अधिकार अपीलांट व उसके परिवार को था क्योंकि पूर्व मे भी यह कृषि भूमि अपीलांट की गैरदाखिलकारी भूमि रही है व लगातार कब्जा मे चली आ रही है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाता तो इस संबंध मे तमाम तथ्यो से अवगत करवाने बाद ऐसा आवंटन आदेश पारित किया जाना किसी प्रकार से भी न्यायोचित नही होता। अपीलाधीन आदेश गलत अभिशंषा व मौका की स्थिति के विपरीत होने के कारण व मौका पर कब्जा के संबंध मे कोई रिपोर्ट नही लिये जाने के आधार पर पारित किया गया है। अपीलांट अपीलाधीन आदेश मे पक्षकार नही था तथा ना ही अपीलाधीन आदेश का दिनांक 03.04.2012 से पूर्व ज्ञान था। इसलिये प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम व धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी को कन्डोन किया जावे तथा अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जावें। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को खारिज किया जावें।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

5. उभयपक्ष विद्वान वकुलाये की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली एवं संलग्न रिकार्ड का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलांट का तर्क है कि अपीलांट के पिता व उनके भाई मोकमराम की गैरदाखिलकार भूमि चक 1 जीजीआर प.न. 230/302 मु.न. 92 कि.न. 16 ता 20, 22 ता 25 व प.न. 230/303 मु.न. 94 कि.न. 3 ता 7 व 15 अनकमाण्ड बारानी दर्ज रिकार्ड थी। अपीलांट के पिता व उनके भाई द्वारा जल प्रदाय योजना के लिए प.न. 230/303 मु.न. 94 कि.न. 4, 5, 6, 7 व 15 की भूमि दी व इसके बदले मे तत्समय जिला कलैक्टर व उपखण्ड अधिकारी व ग्राम

पंचायत द्वारा इस भूमि के बदले अन्यत्र भूमि देना तय किया था। इस कारण यह भूमि जल प्रदाय योजना के लिये दी गई व इस भूमि मे जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा जल प्रदाय योजना के तहत पानी की डिग्गी, क्वार्टर आदि बनाये हुये है, इस भूमि के अलावा प. न. 230/302 मु.न. 92 कि.न. 16 ता 20, 22 ता 25 की कृषि भूमि मे लगातार अपीलांट व उसके पुत्र के कब्जा मे चली आ रही है। अपीलांट के तथ्यों की पुष्टि अपीलांट द्वारा फार्म नं. 3 के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात से होती है।

6. प्रार्थना पत्र अधीशाषी अभियन्ता जल स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग हनुमागढ़ दिनांक 15.03.79 के अनुसार अपीलांट की गैरदाखिलकारी भूमि मे से चक 1 जीजीआर प.न. 230/303 मु.न. 94 कि.न. 4, 5, 6, 7 व 15 भूमि जल योजना तलवाडा झील के दी गई और इस भूमि के बदले मे दूसरी भूमि दी दिये जाने बाबत अंकन किया गया जिसमे बतौर गवाह रायसिंह जांदू, दिलीपसिंह व पटवारी के हस्ताक्षर एवं अधीशाषी अभियन्ता की मोहर एवं हस्ताक्षर अंकित है। प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत तलवाडा झील दिनांक 16.08.82 के अनुसार ग्राम तलवाडा को गृह जल योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा लिखा गया था लेकिन पंचायत के पास कोई राजकीय भूमि उपलब्ध नही थी जिस पर जल योजना शुरू की जा सके। पंचायत ने तत्कालीन उपजिलाधीश हनुमानगढ़ से सम्पर्क किया तो श्रीमान जिलाधीश ने आश्वासन दिया कि भूमि प्राप्त कर ली जावे जितनी भूमि जल योजना मे आयेगी मैं उसका तबादला दे दूंगा इस पर दौलतराम की भूमि चक 1 जीजीआर प.न. 230/303 मु.न. 94 कि.न. 4, 5, 6, 7 व 15 कुल 5.02 बीघा प्राप्त कर ली गई परन्तु अब तक दौलतराम को उपरोक्त भूमि का तबादला नही मिला। इस प्रकार उपरोक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार अपीलांट दौलतराम को तबादला/विनिमय मे भूमि नही मिली बल्कि अपीलांट की गैरदाखिकारी से चिपती हुई भूमि जो अपीलांट के कब्जा काश्त मे थी वह भी जल स्वा0 अभि. विभाग खण्ड हनुमानगढ़ को अपीलाधीन आदेश के जरिये जल प्रदाय योजना के तहत इस शर्त के साथ आवंटित कर दी गई कि भूमि का जिस प्रयोजन हेतु आवंटन किया गया, उसी प्रयोजन के लिए उसका उपयोग किया जावेगा तथा भवन निर्माण कार्य कब्जा सौपने के छः माह के भीतर प्रारम्भ किया जावेगा व दो वर्ष मे पूरा कर लिया जावेगा। आवंटित भूमि का कोई भी भाग अथवा उस पर सनिर्मित भवन का उपयोग सदैव लोक प्रयोजन व जनता के लाभ के लिये किया जावेगा तथा किसी प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नही होगा। उक्त भूमि पर भवन निर्माण मार्थगार्ड लाईन व भारतीय सड़क कांग्रेस मे दिये गये दिशा निर्देशानुसार सड़क के मध्य से निर्धारित स्थान छोड़ते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग की निशान देही प्राप्त कर किया जावेगा, आवंटित कर दी गई।

7. अधिशाषी अभियंता जन स्वा0अभि0विभाग खण्ड हनुमानगढ़ के अपील जवाब के अनुसार चक 1 जीजीआर के प.न. 230/302 मु.न. 92 कि.न. 16/0.253, 22/0.088, 23 ता 25 कुल 1.100 है0 भूमि का आवंटन श्रीमान जिला कलैक्टर हनुमानगढ़ के आदेश क्रमांक सम/07/1222–28 दिनांक 06.01.2018 के द्वारा वाटरवर्क्स प्रयोजन बाबत किया गया था जमीन का कब्जा कनिष्ठ अभियंता द्वारा दिनांक 15.02.08 को प्राप्त कर लिया गया था परन्तु बजट के अभाव मे योजना की तकनीकी स्वीकृति जारी नही हो पाई थी। श्रीमान प्रमुख शासन सचिव के पत्रांक एफ.ए.जी एण्ड सी (57)08–09/26–42 दिनांक 18.05.2009 की अनुपालना मे यह योजना अबेयंस हो गई थी तथा पीपीसी की बैठक सं.182/02.02.10 के द्वारा स्वीकृति निरस्त कर दी गयी थी इस योजना का कार्य अति आवश्यक होने के कारण पुनः नई प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति जारी करवाने हेतु रू. 408.09 लाख के प्रस्ताव मुख्य अभियंता ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत किये गये थे इन प्रस्तावो को संशोधन सहित वित समिति की बैठक सं. 615/05.05.11 मे रू. 499.60 की स्वीकृति जारी की गयी थी। इसके पश्चात इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 6466–74 दिनांक 02.11.11 के द्वारा रू0 37097549.05 का कार्यादेश जारी किया गया था जिसके अनुसार जल योजना 3–5 टीएलडब्ल्यू के अन्तर्गत आवंटित भूमि पर नई डिग्गी का निर्माण किया जाना है। प्रार्थी द्वारा जलदाय विभाग को आवंटित भूमि पर जबरन कब्जा कर नाजायज काश्त की जा रही है।

8. उपरोक्त परिस्थितियों मे यह साबित होता है कि अपीलांट के पिता व उनके भाई द्वारा जल प्रदाय योजना के लिए प.न. 230/303 मु.न. 94 कि.न. 4, 5, 6, 7 व 15 की भूमि दी व इसके बदले मे तत्समय जिला कलैक्टर व उपखण्ड अधिकारी व ग्राम पंचायत द्वारा इस भूमि के बदले अन्यत्र भूमि देना तय किया था। लेकिन बार बार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत भी अपीलांट को तबादला/विनिमय मे भूमि नही दी गई। बल्कि अपीलांट की गैरदाखिकारी भूमि से चिपती हुई जो अपीलांट के कब्जा मे थी वह भी जल प्रदाय योजना के तहत आवंटित कर दी गई। जबकि जल प्रदाय योजना के तहत जिस कार्य हेतु अपीलाधीन आदेश मे भूमि आवंटित की गई है वह कार्य पूर्व अपीलांट द्वारा दी गई भूमि पर कर लिया गया है तथा अपीलाधीन आवंटन आदेश के शर्तो के अनुसार शर्ते–1 भूमि का जिस प्रयोजन हेतु आवंटन किया गया है, उसी प्रयोजन के लिए उसका उपयोग किया जावेगा तथा भवन निर्माण कार्य कब्जा सौंपने के छः माह के भीतर प्रारम्भ किया जावे व दो वर्ष मे पूरा कर लिया जावेगा। परन्तु जन स्वास्थ्य एवं अभियान्त्रिक विभाग द्वारा आवंटित भूमि मे आवंटन शर्तो के अनुसार कार्य प्रारम्भ नही किया गया तथा अभी भी आवंटन के प्रयोजन मे भूमि का उपयोग नही किया गया है जिसके कारण आवंटन शर्तो की पालना नही की गई है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.02.2008 के जरिये चक 1

जीजीआर के प.न. 230/302 मु.न. 92 कि.न. 16/0.253, 22/0.088, 23 ता 25/0.759 कुल 1.100 है0 भूमि जल प्रदाय योजना को आवंटित कर दी गई जबकि आवंटित भूमि अपीलांट के कब्जा काश्त मे है तथा उक्त भूमि ही अपीलांट तबादला/विनिमय के तहत आवंटन करवाना चाहता है। अपीलांट को जल प्रदाय योजना के लिए प.न. 230/303 मु.न. 94 कि.न. 4, 5, 6, 7 व 15 की भूमि के बदले मे दी जानी प्रस्तावित थी। परन्तु अपीलाधीन आदेश अपीलांट सुनवाई का अवसर दिये तथा बिना मौका की जांच कब्जा काश्त की जांच किये पारित कर दिया गया जिसकी पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना न्यायसंगत नही होने के कारण अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

9. अतः उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 06.02.2008 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण न्यायालय जिला कलैक्टर हनुमानगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को बतौर पक्षकार संयोजित किया जाकर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुए अगर अपीलांट विवादग्रस्त आराजी भूमि के आवंटन की पात्रता रखता है तो आवंटन नियमो के तहत आवंटन प्रकरण पर विचार करते हुए गुणावगुण के अनुसार निस्तारण करें। उभय पक्ष न्यायालय जिला कलैक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष दिनांक 28.03.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़